न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 66 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 28.10.2021

सीताराम पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी लसाडिया तहसील उनियारा जिला टोंक

—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला— टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सोप प्रकरण संख्या 131 / 2021 दिनांक 28.09.2021

उपस्थिति : (1) श्री दीपचन्द बैरवा, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक **23.03.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 28.09.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 796 / 313 रकबा 0.75 है0, किस्म सिवायचक वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर कब्जा जोत करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 225 / रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नही दिया गया और ना ही अपीलान्ट की विधिवत रूप से [illegible] न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अ[illegible] किये बिना ही निर्णय पारित किया है। निर्णय एक पक्षीय है जो [illegible] के प्राकृतिक [illegible] के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय [illegible] से पूर्व वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई ओर न[illegible] गया। अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:09:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

ने कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 796/313 रकबा 0.75 है0,किस्म सिवायचक वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा जोत करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 90 दिवस की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है, किन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 53/2020 निर्णय दिनांक 28.12. 2020 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट के पुत्र की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 796/313 रकबा 0.75 है0, किस्म सिवायचक वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा जोत कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने दिनांक 02.03.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त खसरा नम्बर से मेरा कोई सरोकार नही है,उक्त खसरे से अपना कब्जा छोड दिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 28.09.2021 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:09:37 IST
Reason: SelfAttested